

# फर्द अहकाम

केलारा वनाम गोपाल

: सहायक कलक्टर, बस्ती

पत्र/मुकदमा नम्बर : 21/2024

आज्ञा पंवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>व लगान अलग - अलग कायम की जावें।</p> <p>उभयपक्ष अधिवक्ता को पक्षकारों की मौके पर उपस्थित रहने हेतु सूचित किया गया।</p> <p>डिक्री पच्ची जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते इंतजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29/04/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(माम)</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर बस्ती जिला जयपुर</p>	
29/04/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी से. 4 व 5 के अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>पत्रावली वास्ते इंतजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07/05/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(माम)</p>	
07/05/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी से. 4 व 5 के अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>तहसीलदार बस्ती के पत्रांक भू-भ. /2024/2024 दिनांक 07/05/2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुई। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादपत्र में अंतिम डिक्री फरमाते हेतु निवेदन किया।</p> <p style="text-align: right;">(माम)</p>	

# फर्द अहकाम

केलाश बनाम गोपाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 21/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>उभयपक्ष आदिश्रमता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करके एवं उभयपक्ष आदिश्रमता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर लक्ष्मी जगत के उपरान्त हम पाते हैं कि विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक दिवसी के अनुक्रम बनकर काटे हैं एवं सभी पक्षकारी को मुख्य लः पर लगायी हुई भूमि की गई इसातिर न्यायाक्षे को ध्यान में रखते हुए तदधीनकार बस्सी द्वारा दिनांक 07/05/2024 को प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम दिवसी किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा न. 9। रकबा 0.7587 हैक्टर स्थित ग्राम दिगल प-ह लालगढ, तह. बस्सी जी. जयपुर में से खसरा न. 9।1 रकबा 0.3794 हैक्टर की भूमि खातेदार आनन्दीलाल पुत्र नाथूलाल हि. 1/3 जाति मीना राधिम स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा गोनेर जगदीश पुत्र शंकर हि. 1/3 जाति मीना गोपाल पुत्र हुंगा हि. 1/3 जाति मीना</p>

# फर्द अहकाम

कैलाश बनाम गोपाल

सहायक कलक्टर, बस्सी


पत्र/मुकदमा नम्बर : 21/2024

आज्ञा	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-------	----------------------	-------------

सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा खसरा न. 91/2 रकबा 0.0474 हेक्टर की भूमि खातेदार मैन्दीलाल पुत्र पांचू उर्फ पांचुराम सम्पूर्ण जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा खसरा न. 91/3 रकबा 0.1265 हेक्टर की भूमि खातेदार अम्बालाल दत्तक पुत्र चन्दा हि. सम्पूर्ण जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा खसरा न. 91/4 रकबा 0.2054 हेक्टर की भूमि खातेदार कैलाश पुत्र पांचू उर्फ पांचुराम हि. सम्पूर्ण जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी।

उम्मानुसार तहसीलदार बस्सी राजस्व रिकार्ड में अमल परामद से कार्यवाही करें। अनुमोदित विभाजन प्रस्ताव व नम्बरे से प्रति तहसीलदार बस्सी को भिजवाया जावे। इस आशय की तहरीर जारी हो। सिद्धी पचा जारी हो। पत्रावली कैलाश पुमाट होकर नम्बर से कर होकर बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07/07/24 को हुक्मे न्यायालय में पुनाया गया।

  
 सहायक कलक्टर  
 बस्सी जिला-जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर**  
पीठासीन अधिकारी कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर  
वादीया प्रतिवादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र पांचू उर्फ पांचूराम  
जाति मीना निवासी ग्राम ढिढोल  
तह. बस्सी जिला जयपुर।


1. गोपाल पुत्र डूंगा
2. जगदीश पुत्र शंकर
3. आनन्दीलाल पुत्र नाथूलाल
4. गैदीलाल पुत्र पांचू उर्फ पांचूराम
5. अम्बालाल दत्तक पुत्र चन्दा  
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम ढिढोल  
तह. बस्सी जिला जयपुर।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय  
बस्सी जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक बस्सी तह. बस्सी जिला  
जयपुर।

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 कारत0 अधि0 1955


मुकदमा नम्बर 21/2024

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 91 रकबा 0.7587 है. स्थित ग्राम ढिढोल प.ह. लालगढ, त.ह. बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 91/1 रकबा 0.3794 है. की भूमि खातेदार आनन्दीलाल पुत्र नाथूलाल हि. 1/3 जाति मीना राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोनेर जगदीश पुत्र शंकर हि. 1/3 जाति मीना गोपाल पुत्र डूंगा हि. 1/3 जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 91/2 रकबा 0.0474 है. की भूमि खातेदार गैन्दीलाल पुत्र पांचू उर्फ पांचूराम संपूर्ण जाति मीना सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 91/3 रकबा 0.1265 है. की भूमि खातेदार अम्बालाल दत्तक पुत्र चन्दा हि. संपूर्ण जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी। तथा ख.नं. 91/4 रकबा 0.2054 है. की भूमि खातेदार कैलाश पुत्र पांचू उर्फ पांचूराम हि. संपूर्ण जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी। उक्तानुसार तहसीलदार बस्सी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। बाद अनुमोदन विभाजन प्रस्ताव व नक्शे तहसीलदार तूंगा को भिजवाया जावें। .....निजी..... मुबलिक.....बाबत.....खर्चा.....इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..... को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 07.05.2024 को जारी किया गया।




मोहर  
ओहदा.....

  
दस्तख्त... सहायक कलेक्टर  
बस्ती जिला-जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

  
सहायक कलेक्टर  
बस्ती जिला जयपुर ग्रामीण